

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या- 29 / 2010-2011 अ.उ. 2011-12

एस0जे0पी0 ग्लोवल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल आदि
बनाम सरकार

धारा 161 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0
मौजा नगला सदौला

नकल-निर्णय

प्रार्थी एस0जे0पी0 ग्लोवल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल व सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र जमुना प्रसाद अग्रवाल निवासीगण जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक-18.5.2010 में अंकित किया गया है कि वह मौजा नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-87 खसरा संख्या 188मि./0.090, खाता संख्या-21 खसरा संख्या 172मि./0.122हे, खाता संख्या 79 खसरा संख्या 236मि./0.008हे, खाता संख्या 54 खसरा संख्या-234मि./0.108हे, खाता संख्या-81 खसरा संख्या- 233मि./0.034हे, खाता संख्या 57 खसरा संख्या-245मि./0.050हे, 247मि./0.045हे. कुल 07 किता रकवा 0.457हे. के संकमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। इस भूमि के मध्य भाग व वाउन्ड्रीवाल के अन्दर गांव सभा भूमि खाता संख्या-126 खसरा संख्या 108/0.032हे.112मि/0.009, 112मि/0.015हे, 175मि0/0.022, व 213/0.020हे. दर्ज कागजात गूल व खाता संख्या-127 खसरा संख्या 241/0.002हे, 195मि./0.002 हे. 201मि./0.005, 222/0.016, 224/0.029हे. 226मि./0.016हे, 246/0.012हे, 201मि./0.006हे, 209/0.013हे, 226मि./0.003हे. दर्ज कागजात नाली व खाता संख्या 131 खसरा संख्या- 197मि/0.041हे.व 197मि./0.052हे, 243मि./0.004हे. 225/0.052, 243मि./0.004 दर्ज कागजात रास्ता व खाता संख्या 130 खसरा संख्या 231/0.004हे. 227मि./0.012हे, 227मि./0.013, 186मि./0.020हे. व 196/0.003हे. दर्ज कागजात चकमार्ग है, जिनका कुल रकवा 0.430हे. है। वादीगण उक्त भूमिसभा के चकमार्ग, रास्ता, नाली के क्षेत्रफल के बदले विनियम द्वारा अपनी भूमि में से बाउन्ड्रीवाल के सहारे होकर चकमार्ग, रास्ता व नाली का क्षेत्रफल उपलब्ध कराना चाहते है, ताकि कालौनी विकसित किये जाने में कोई बाधा वादीगण के समक्ष उपस्थित न हो। प्रस्तावित विनियम से ग्राम सभा को कोई क्षति नहीं बल्कि अधिक रकवा प्राप्त होगा। वादीगण अपनी वाउन्ड्रीवाल के सहारे गांव सभा को रास्ता, नाली के रुप में विनियम स्वीकार उपरान्त प्राप्त रकवा को समतल तथा नाली रास्ता के रुप में तैयार कराकर उपलब्ध कराने का उत्तरदायी होगा। प्रस्तावित विनियम से गांव सभा को जनहित में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती होती है।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा जॉचकर संस्तुति आख्या दिनांक-2.7.2011 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थी एस0जे0पी0 ग्लोवल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल व सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र जमुना प्रसाद अग्रवाल निवासीगण जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक-18.5.2010 में अंकित किया गया है कि वह मौजा नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-87 खसरा संख्या 188मि./0.090, खाता संख्या-21 खसरा संख्या 172मि./0.122हे, खाता संख्या 79 खसरा संख्या 236मि./0.008हे, खाता संख्या 54 खसरा संख्या-234मि./0.108हे, खाता संख्या-81 खसरा संख्या- 233मि./0.034हे, खाता संख्या 57 खसरा संख्या-245मि./0.050हे, 247मि./0.045हे. कुल 07 किता रकवा 0.457हे. के संकमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। इस भूमि के मध्य भाग व वाउन्ड्रीवाल के अन्दर गांव सभा भूमि खाता संख्या-126 खसरा संख्या 108/0.032हे.112मि/0.009, 112मि/0.015हे. 175मि0/0.022, व 213/0.020हे. दर्ज कागजात गूल व खाता संख्या-127 खसरा संख्या 241/0.002हे, 195मि./0.002 हे. 201मि./0.005, 222/0.016, 224/0.029हे. 226मि./0.016हे, 246/0.012हे, 201मि./0.006हे, 209/0.013हे, 226मि./0.003हे. दर्ज कागजात नाली व खाता संख्या 131 खसरा संख्या- 197मि/0.041हे.व 197मि./0.052हे, 243मि./0.004हे. 225/0.052, 243मि./0.004 दर्ज कागजात रास्ता व खाता संख्या 130 खसरा संख्या 231/0.004हे, 227मि./0.012हे. 227मि./0.013, 186मि./0.020हे. व 196/0.003हे. दर्ज कागजात चकमार्ग है, जिनका कुल रकवा 0.430हे. है। उपरोक्तानुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा सर्व समिति से दिनांक-5.6.2011 को किये गये प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि सलग्न नक्शा नजरी में

दर्शित एस0जे0पी0ग्लोबल लि0 कम्पनी के द्वारा अपनी भूमि में से वाउन्डी के सहारे रास्ता के दोनों ओर 7.5 कडी चौड़ाई में नाली तथा 20 कडी चौड़ाई में रास्ता विनियम उपरान्त गांव सभा को प्राप्त होगा। साथ ही वादीगण द्वारा रास्ता हेतु 15 कडी चौड़ाई में अपनी भूमि में से प्रथक से उपलब्ध कराएंगे, ताकि रास्ता की चौड़ाई विनियम भूमि मिलाकर 35 कडी गांव सभा हित में उपलब्ध हो सकेगी। प्रस्तावित विनियम में नक्शा मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। प्रस्तावित विनियम से गांव सभा को कोई हानि नहीं हो रही है, बल्कि रकवा 0.034हे. अधिक प्राप्त होगा। तहसीलदार, मथुरा द्वारा विनियम स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई है।

पक्षों को सूचना-पत्र जारी किया गया। ग्राम प्रधान श्री वीरीसिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा का सशपथ बयान दर्ज किया गया। ग्राम प्रधान वीरीसिंह द्वारा दर्ज कराये गये सशपथ बयान दिनांक-29.7.2011 में अंकित कराया है कि भू0प्र0स0 द्वारा प्रस्ताव दिनांक-5.6.2011 को विधिवत् पारित किया गया है, जिसमें गांव सभा को कोई हानि नहीं है। क्योंकि गांव सभा को रकवा 0.034हे. अधिक भूमि प्राप्त हो रही है। उक्त विनियम प्रस्ताव से भू0प्र0स0 एवं किसी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है। सभी ग्रामसभा के 15 सदस्यों द्वारा फोटोयुक्त शपथ-पत्रों पर मेरे साक्ष हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किये गये हैं। मेरे फोटोयुक्त शपथ-पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद, लेखपाल क्षेत्र सतोहा असगरपुर ने अपने सशपथ बयान दिनांक-29.7.2011 में अंकित कराया है कि भू0प्र0स0 सतोहा असगरपुर द्वारा बैठक दिनांक 5.6.2011 में पारित प्रस्ताव संख्या-2 (4) के कम में मेरे द्वारा पत्रावली तैयार की गई है जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है। इस विनियम से गांव सभा को कोई हानि नहीं है। मालियत में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। प्रस्तावित विनियम में ग्राम सभा को अधिक भूमि प्राप्त हो रही है। प्रस्तावित विनियम स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

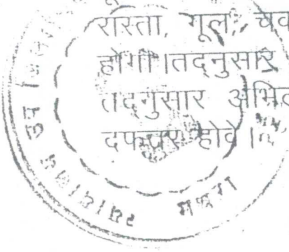
भुवनेश पुत्र बच्चू सिंह आदि द्वारा दिनांक 29.8.2011/19.11.2011 को आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि विनियम को लागू करने वाली गांव सभा भूमि चकरोड, नाली व गूल की भूमि है जो धारा 132 ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि है, जिसका विनियम नहीं किया जा सकता है। उक्त नाली, गूल व चकरोड विनियम के द्वारा बाउन्डीवाल के बाहर दिये जायेंगे, उनकी उपयोगिता ही खत्म हो जायेगी। उक्त भूमि धारा 143ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत आवादी घोषित भूमि है, जिसका विनियम नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त आधारों पर विनियम हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जावे।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया। उक्त विनियम हेतु प्रस्ताव दिनांक 5.6.2011 को भू0प्र0स0 द्वारा पारित किया गया। प्रस्तावित विनियम के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल के सशपथ बयान दिनांक-29.7.2011, ग्राम प्रधान के सशपथ बयान दिनांक-29.8.2011 एवं तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक-2.7.2011, तुलनात्मक नक्शा मालियत से विदित है कि उक्त विनियम वादीगण द्वारा विकसित की जा रही कालौनी के अन्दर गांव सभा भूमि आने के कारण किया जा रहा है। गांव सभा को उक्त विनियम में गांव सभा को 0.034हे. भूमि प्राप्त हो रही है, जिससे गांव सभा को कोई लाभ हो रहा है। प्रस्तावित विनियम में किस्म जमीन के अनुसार मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। उक्त नाली व चकमार्ग से अन्य कोई काश्तकार प्रभावित नहीं हो रहा है। वादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विनियम हेतु प्रस्तावित वादी की भूमि आवादी की नहीं है, कृषि भूमि है। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि का विनियम किये जाने में कोई विधिक आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक उद्धरण 2008 (104) आर0डी0 52(इलाहाबाद हाई कोर्ट) खचेरु बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रस्तुत किया गया है जिसमें विनिश्चित किया गया है कि गांव सभा भूमि जो लोक उद्देश्य हेतु आरक्षित हो, उसका विनियम इस शर्त पर किया जा सकता है कि गांव सभा को विनियम के द्वारा मिलने वाली भूमि उसी लोक उद्देश्य के प्रयोजन में लायी जायेगी। श्री भुवनेश पुत्र बच्चू सिंह आदि के द्वारा की गई आपत्ति बलहीन एवं निराधार है। अतः उक्त विनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

एतद्वारा मौजा नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-87 खसरा संख्या 188मि./0.090, खाता संख्या-21 खसरा संख्या 172मि./0.122हे., खाता संख्या 79 खसरा संख्या 236मि./0.008हे., खाता संख्या 54 खसरा संख्या-234मि./0.108हे., खाता संख्या-81 खसरा संख्या-233मि./0.034हे., खाता संख्या 57 खसरा संख्या-245मि./0.039हे., 247मि./0.045हे. कुल 07 कित्ता रकवा 0.457हे. के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है तथा मोके पर काबिज है। इस भूमि

के मध्य भाग व वाउन्ड्रीवाल के अन्दर गांव सभा भूमि खाता संख्या-126 खसरा संख्या 108/0. 032हे.112मि/0.009, 112मि./0.015हे. 175मि0/0.022, व 213/0.020हे. दर्ज कागजात गूल व खाता संख्या-127 खसरा संख्या 241/0.002हे, 195मि./0.002 हे. 201मि./0.005, 222/0.016, 224/0.029हे. 226मि./0.016हे., 246/0.012हे., 201मि./0.006हे, 209/0.013हे., 226मि./0.003हे. दर्ज कागजात नाली व खाता संख्या 131 खसरा संख्या- 197मि/0.041हे.व 197मि./0.052हे., 243मि./0.004हे. 225/0.052, 243मि./0.004 दर्ज कागजात रास्ता व खाता संख्या 130 खसरा संख्या 231/0.004हे. 227मि./0.012हे. 227मि./0.013, 186मि./0.020हे. व 196/0.003हे. दर्ज कागजात चकमार्ग हैं, जिनका कुल रकवा 0.430हे. है। उपरोक्तानुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा सर्व सम्मति से दिनांक- 5.6.2011 को किये गये प्रस्ताव तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक-14.5. 2010आदेश का अंग रहेगी। यह विनियम इस शर्त के अधीन होगा कि गांव सभा को विनियम में प्राप्त भूमि स्वीकृति उद्देश्य यथा रास्ता, गूल व चकमार्ग, नाली के प्रयोजन में लायी जायेगी तथा मौके पर रास्ता, गूल, चकमार्ग एवं नाली विकसित कर गांव सभा को उपलब्ध कराने का उत्तदायित्व वादी का होगा। तदनुसार अभिलेखों में इन्द्राज किया जाय। इस आदेश की प्रति तहसीलदार, मथुरा को तदनुसार अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तरी होवे।



(अमर पाल सिंह)

उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अभिलेखों में इन्द्राज कराकर एक प्रति न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय।

(अमर पाल सिंह)

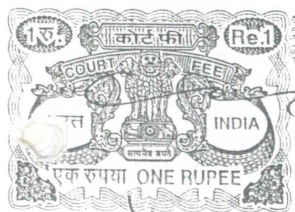
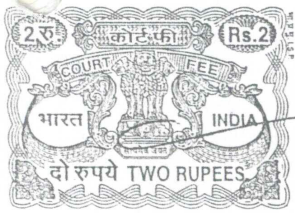
उप जिलाधिकारी, मथुरा

साथ प्रतिलिपि

बहुलसद, उपजिलाधिकारी

मथुरा

14/12/2011



188
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011

उपजिलाधिकारी, मथुरा

द्वारा तहसीलदार/ रा0 निरीक्षक

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा वाद संख्या सन् 2011 एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल आदि बनाम ग्राम सभा, मौजा नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा अन्तर्गत धारा 161 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम दिनांक 18.05.11 पर पारित आदेश के अनुपालन में जॉचोपरान्त आख्या निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा ग्राम नगला सदौला एवं ग्राम सतोहा असगरपुर स्थित संक्रमणीय भूमि के काफी बड़े भू-भाग में एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 कम्पनी नाम से आवासीय कालोनी विकसित हेतु प्रस्तावित है इस भूमि की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम नगला सदौला स्थित ग्राम सभा भूमि के रास्ता, नाली, गूल, चकमार्ग, का क्षेत्रफल भी आने के कारण कालोनी विकसित किये जाने में उत्पन्न हो रही समस्या के समाधान हेतु वादीगण उक्त रास्ता नाली के स्थान पर अपनी भूमि में से बाउण्ड्रीवाल के सहारे विनिमय के द्वारा रास्ता, नाली, गूल, चकमार्ग, उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2. वादीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रस्तावित विनिमय के सम्बन्ध में भू0प्र0सं0 की बैठक दिनांक 05.06.11 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से निम्न भूमि ब्यौरे के अनुसार प्रस्ताव पारित किया गया है।

वादीगण की भूमि का ब्यौरा जो विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्राम सभा को प्राप्त होगा					ग्राम सभा भूमि का ब्यौरा जो विनिमय स्वीकार उपरान्त वादीगण को प्राप्त होगा				
खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा है० में	नौइयत	खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा है० में	नौइयत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र जमुना प्रसाद अग्रवाल, निवासी जमुनाधाम कालौनी मथुरा	188मि.	0.090	सं० भू०	126 131	ग्राम सभा	108 112मि. 197मि. 3 किता	0.032 0.009 0.041 0.082	गूल गूल रास्ता
21	सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र जमुना प्रसाद अग्रवाल, निवासी जमुनाधाम कालौनी मथुरा	172मि.	0.122	सं० भू०	126 131 130	ग्राम सभा	112मि. 175मि. 213 197मि. 231 5 किता	0.015 0.022 0.020 0.052 0.004 0.113	गूल गूल गूल रास्ता चकमार्ग

Handwritten signature
13/06/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	एस जे.पी. ग्लोबल लि. द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी मथुरा	236 मि.	0.008	सं0 भू0	127	ग्राम सभा	241 195मि. 243मि. 3 किता	0.002 0.002 0.004 0.008	नाली नाली रास्ता
54	एस जे.पी. ग्लोबल लि. द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी मथुरा	234मि.	0.108	सं0 भू0	127	ग्राम सभा	201 222 224 225 4किता	0.005 0.016 0.029 0.052 0.102	नाली नाली नाली रास्ता
81	एस जे.पी. ग्लोबल लि. द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी मथुरा	233मि.	0.034	सं0भू0	127 130 131	ग्राम सभा	226मि. 227मि. 243मि. 3 किता	0.016 0.012 0.004 0.032	नाली चकमार्ग रास्ता
57	एस जे.पी. ग्लोबल लि. द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी मथुरा	245मि.	0.039	सं0भू0	127 130	ग्राम सभा	246 201 224 227मि. 4किता	0.012 0.006 0.005 0.013 0.036	नाली नाली नाली चकमार्ग
57	एस जे.पी. ग्लोबल लि. द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी मथुरा	247मि.	0.045	सं0भू0	127 130	ग्राम सभा	209 226मि. 186मि. 196 4 किता	0.013 0.003 0.020 0.003 0.039	नाली नाली चकमार्ग चकमार्ग
	कुल योग -		0.457 है0					0.423 है0	

3. यह कि उपरोक्तानुसार भूमि प्रबंधक समिति द्वारा सर्व सम्मति से किये गये प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया है कि संलग्न नक्शा अक्स में दर्शित एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 कम्पनी के द्वारा अपनी भूमि में से बाउन्ड्री के सहारे रास्ता के दोनों ओर 7.5 कड़ी चौड़ाई में नाली तथा 20 कड़ी, चौड़ाई में रास्ता विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्राम सभा को प्राप्त होगा। जिसमें नक्शा अक्स में नाली को नीली मसि से तथा रास्ता को लाल मसि से दर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त वादीगण के द्वारा रास्ता हेतु 15 कड़ी चौड़ाई में

Signature
13/06/11

अपनी भूमि में से पृथक् से उपलब्ध करायेंगे ताकि रास्ता की चौड़ाई विनिमय भूमि मिलाकर 35 कड़ी ग्राम सभा हित में उपलब्ध हो सके।

4. प्रस्तावित विनिमय में ग्राम सभा चकमार्ग भूमि का गाटा संख्या 250 रकवा 0.011 है वादीगण की आवासीय हेतु प्रस्तावित कालोनी की बाउन्ड्रीवाल के बाहर का है जो एजेन्डा, मुनादी, कार्यवाही में सहवन भूल से अंकित हो गया था, जिसे प्रस्तुत रिपोर्ट में पृथक् कर दिया गया है अर्थात् यह गाटा विनिमय से सम्बन्धित नहीं है।
5. यह कि प्रस्तावित विनिमय जनहित में है जिससे ग्राम सभा को कोई हानि प्रतीत नहीं होती है बल्कि प्रस्तावित विनिमय में ग्राम सभा को अधिक रकवा प्राप्त हो रहा है।
6. यह कि प्रस्तावित विनिमय में किस्म जमीन के अनुसार वादी प्रतिवादी की भूमि में मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। अवलोकनार्थ नक्शा तुलनात्मक मालियत संलग्न है।
7. यह कि प्रस्तावित विनिमय के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि वादीगण की भूमि के खसरा संख्या 188, 172, 236, 234, 233 की भूमि ज0वि0 अ0 की धारा 143 के अधीन अकृषक घोषित की जा चुकी है लेकिन इस भूमि में मौके पर अकृषक प्रयोजन से सम्बन्धित कार्यों के उपयोग में नहीं लायी गई है, अर्थात् भूमि खाली है। ऐसी स्थिति में वादीगण की विनिमय से सम्बन्धित आंशिक भूमि के खसरा सं. 188मि/0.090, 172मि/0.122, 236/0.008, 234/0.108, 233मि/0.034 को कृषित मानकर विनिमय स्वीकार किये जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यह रकवा विनिमय स्वीकार उपरान्त रास्ता/नाली/गूल/चकमार्ग के प्रयोग में रहेगा।
8. प्रस्तावित विनिमय स्वीकार किये जाने के क्रम में वांछित अभिलेख के रूप में तुलनात्मक नक्शा मालियत, नक्शा, अक्स, नकल खसरा खतौनी नकल कार्यवाही रजिस्टर भू0प्र0 समिति, एजेन्डा, मुनादी संलग्न है।

अतः उपरोक्त आधार पर प्रस्तावित विनिमय स्वीकृत किये जाने योग्य है। अतः स्वीकृति हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

दिनांक 13-06-11

Sardar
13/6/11

(सचिव/लेखपाल)
भू0प्र0 समिति
सतोहा असगरपुर

तहसीलदार मथुरा

मेडा 55

वर्तमान लिखित प्रस्ताव की अरजत
के सिद्धांत पर प्रस्तावित विनिमय स्वीकार
करने की संतुष्टि की जाती है।

उपस्थित/अपस्थित
मथुरा (नगर)

महोदय,

प्रस्ताव की मालिक पर मौखिक रूप से सत्य जांच की गयी। मौखिक जांच में अंकित नाली, चकमार्ग प्राप्ति की शक्ति का सबूत जो मातृही 3 गहरे एक साइड में दिखा जाते हैं, जो सत्य को कोई संदिग्ध नहीं है। अतः विनिमय स्वीकार (निपुणतुल्य) स्वीकार करने की संतुष्टि सहित मातृका नीला रंग में प्रेषित है।